[illegible]

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्या[illegible]

[illegible]

अतारांकित प्रश्न संख्याः4273

13 दिसम्बर, 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

[illegible]क्ष[illegible]

4273. [illegible]

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण [illegible]

(क) क्या देश भर म जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) लागू को जा रही है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों म योग्य लाभार्थियों को प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के तहत आवंटित धनराशि कितनी है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस योजना से लाभान्वित लोगों को संख्या कितनी है

[illegible]

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) जी, हाँ। जेएसवाई का सारे देश म कायान्वयन किया जा रहा है।

(ख) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों म पात्र लाभार्थियो को दी गई वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार हैः-

श्रेणी	ग्रामीण (रुपए)	शहरी क्षेत्र (रुपए)	पात्रता
अस्पताल म प्रसव हेतु वित्तीय सहायता			
कम काय निष्पादन करने वाले राज्य (एलपीएस)	1400	1000	आयु तथा बच्चों को संख्या म भेदभाव किए बिना सभी महिलाओं सरकारी/निजी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों म प्रसव कराने हेतु उपलब्ध है।
उच्च काय निष्पादन करने वाले राज्य (एचपीएस)	700	600	आयु तथा बच्चों को संख्या म भेदभाव किए बिना सभी बीपीएच/एससी/एसटी महिलाओं को सरकारी/निजी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य सुविधा

			केन्द्रों म प्रसव कराने हेतु उपलब्ध है।
घर पर प्रसव हेतु वित्तीय सहायता			
एलपीएस	500	500	आयु तथा बच्चों को संख्या के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी बीपीएल महिलाओं को घर पर प्रसव के लिए उपलब्ध है।
एचपीएस	500	500	

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना हेतु आबंटित निधियों को राशि निम्नवत् से हैः

- 2016-17 म 1957.04 करोड़ रु.
- 2017-18 म 1994.36 करोड़ रु.
- 2018-19 म 1976.23 करोड़ रु.

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के माध्यम से लाभान्वित लाभार्थियों को संख्या निम्नवत हैः

- 2016-17 म 104.59 लाख
- 2017-18 म 110.21 लाख
- 2018-19 म 100.41 लाख